सं०सं०–1/एस०के०एम०सी०–03/2012–.....18.(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक–25 अप्रैल, 2012

विषयः–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 18,18,51,200/– (अठारह करोड़ अठारह लाख इक्यावन हजार दो सौ) रूपए मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/ उप शीर्ष अन्तर्गत श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड N 2210051050008 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **18,18,51,200/–** (अठारह करोड़ अठारह लाख इक्यावन हजार दो सौ) रूपए मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस आवंटन में मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में दी गई राशि मशीनों एवं उपस्करों को क्रियाशील बनाये रखने एवं रख रखाव के लिए सम्मिलित है।

5. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0008–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड– N 2210051050008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। समय–समय पर वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7. इस राशि के क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में तथा निर्धारित शर्त्तो के तहत् किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ–2

24/4/2012

9. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र एवं जिनकी निकासी वर्ष 2011–12 में नहीं हो सकी है, की भी निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसकी निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/04/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/एस०के०एम०सी०–03/2012–...18.(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–25/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 /संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड एन 2210051050008 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	112174000	100956600	11217400
01 02 विशेष वेतन	0	0	0
01 03 जीवन यापन भत्ता	51322000	46189800	5132200
01 04 मकान किराया भत्ता	7021000	6318900	702100
01 05 परिवहन भत्ता	0	0	0
01 06 चिकित्सा भत्ता	374000	336600	37400
01 07 अन्य भत्ता	27000	24300	2700
योग– वेतन एवं भत्ते	**170918000**	**153826200**	**17091800**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000
11 01 यात्रा व्यय	350000	175000	175000
13 01 कार्यालय व्यय	6000000	3000000	3000000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	600000	600000	0
13 03 दूरभाष	250000	125000	125000
13 04 विद्युत प्रभार	10000000	8000000	2000000
13 05 विधि प्रभार	150000	75000	75000
13 06 वर्दी/पोशाक	250000	125000	125000
13 07 विद्युत प्रभार–डी0पी0एस0	200000	100000	100000
14 01 किराया महसूल एवं कर	500000	250000	250000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	150000	75000	75000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	500000	250000	250000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	7000000	3500000	3500000
21 02 दवा भण्डार	1000000	500000	500000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	15000000	7500000	7500000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	1000000	500000	500000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	15000000	3000000	12000000
कुल योग :–	**259368000**	**181851200**	**77516800**

(अठारह करोड़ अठारह लाख इक्यावन हजार दो सौ रूपये) मात्र

18(12)EP
25-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव।